राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./791/2005/धौलपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसेडी जिला धौलपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

विजेन्द्र पुत्र हाकिम सिह (फौत) जरिये वारिसान :–

1– दिनेश

2– बन्टू

3– महेश

समस्त पुत्रगण स्व. विजेन्द्र, जाति ठाकुर निवासी एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री ओ. पी. भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय **दिनांक : 17–10–2019**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–224 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–6–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट / वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी राजस्थान सरकार के सहायक कलेक्टर, बाडी के न्यायालय में

इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर–529/3 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर–544/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में 3 बीघा भूमि जो कि ग्राम एकटा तहसील बसेडी में स्थित है, पर वादी का आधिपत्य संवत 2022 से निरन्तर चला आ रहा है तथा आराजी की किस्म सिवायचक सरकारी भूमि है और उसका अनाधिकृत कब्जा पिछले 31 वर्षो से चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा समय समय पर धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस दिये जा रहे हैं तथा वह सरकार में पेनल्टी जमा कराता चला आ रहा है, किन्तु उसे आज तक बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की गयी है इस कारण उसे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा सरकार का बेदखल करने का अधिकार समाप्त हो चुका है। अतः उसका वाद डिक्री किया जाकर उसे आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान सरकार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त वाद का नोटिस प्राप्त होने पर सरकार ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर, बाडी द्वारा पक्षकारान की बहस सुनकर आराजी पर वादी का निरन्तर 10 साल से कब्जा काश्त नहीं माना एवं वादी का निरन्तर कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होने के कारण उसका दावा दिनांक 5–2–1999 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–6–2004 के द्वारा स्वीकार कर ली। उस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–6–2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– बहस में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थी ने एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विपरीत कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया और खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर वाद खारिज कर दिया। अप्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की और न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपील स्वीकार कर विवादित आराजी पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश प्रदान किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत केवल विपरीत कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी

अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपीलान्ट को विवादित भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। उनका यह निर्णय विधि एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये उसे स्वीकार कर देरी को शमित करने का निवेदन किया।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट विवादित भूमि पर संवत 2022 से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। यद्यपि यह सिवायचक भूमि दर्ज है किन्तु विपरीत कब्जे के आधार पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने विधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय प्रदान किया है इसलिये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया। मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी। इसी आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वता पूर्ण बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर निर्णय किया जाना है। अपीलान्ट ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **"प्रशासन आपके द्वार"** व पंचायत चुनावों में व्यस्त होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर हुई देरी जानबूझकर नही की गयी है। इसलिये इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर देरी शमित की जाती है।

8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 में आराजी खसरा नम्बर–529/3 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा मिल्कियत सरकार सिवायचक दर्ज है। पत्रावली में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के नोटिस सन् 1984 से लगे हुये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि

पर अप्रार्थी के पिता ने अवैध अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी के पिता के बयान में उसने स्वीकार किया है कि उसका कब्जा 5 बीघा भूमि पर है जो कि कमांड एरिया में है। डी.डब्ल्यू–1 भगवानदास पटवारी हल्का ने अपने बयान में कथन किया कि अप्रार्थी के पिता विजेन्द्र का अवैध कब्जा सिवायचक भूमि में था जो कि कमाण्ड ऐरिया में है या जिसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर कब्जे से बेदखल किया गया था। उक्त मौखिक साक्ष्यों व दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज है जो कमांड एरिया में है। उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि आराजी खसरा नम्बर–529/3 रकबा 2 बीघा व 544/1 रकबा 3 बीघा पर अप्रार्थी के पिता विजेन्द्र का कब्जा रहा है। धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस व खसरा गिरदावरी में अंकन होने से उसका कब्जा होना साबित होता है लेकिन पटवारीके बयान के आधार पर यह भी भली–भांति साबित होता है कि समय समय पर अवैध अतिक्रमी को विधि की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बेदखल भी किया है। इसी प्रकार यह भली–भांति सिद्ध होता है कि अप्रार्थी व उसके पिता का कभी भी लगातार कब्जा नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तभी खातेदारी अधिकार प्राप्त सकते हैं जबकि वह संवत 2012 को काश्तकार हो और वह वैधानिक रूप से भूमि पर काश्त करता हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के इन प्रावधानों की रोशनी में देखने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का ना तो संवत 2022 से वैधानिक कब्जा है और ना ही लगातार कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाडी ने अपने निर्णय दिनांक 5–2–1999 में दावा, प्रतिदावा का विश्लेषण करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों को एवं तनकियों को ध्यान में रखते हुये निर्णय प्रदान किया है जिसके अनुसार अप्रार्थी का दावा खारिज किया गया है।

9– इसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर में प्रस्तुत हुई, जिस पर निर्णय दिनांक 19–6–2004 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर–529/3 रकबा 12 बीघा में से 2 बीघा, 544/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। आक्षेपित आदेश विधि के प्रावधानों के एकदम विपरीत है। राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त आदेश को न्यायोचित आदेश नहीं कहा जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है

एवं अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 19–6–2004 अपास्त किये जाने योग्य है।

10– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 19–4–2006 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाडी का निर्णय व डिक्री दिनांक 5–2–1999 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष